

कानून सं 13017/2/92-रा भा (ग), मार्च 1992

विषय: प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य-सामग्री के अनुवाद के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन (खंड-3) में को गई सिफारिशों में निम्नलिखित सिफारिश भी कोई है:

सिफारिश सं-ज(5) — प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य-सामग्री का अनुवाद

समिति ने सिफारिश की है प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य-सामग्री का अनुवाद भीषण कर लिया जाना चाहिए।

2. संसदीय राजभाषा समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है तथा इस संबंध में सरकार का निर्णय इस विभाग के संकल्प सं 13015/1/91- रा भा (च), दिनांक 4.11.1991 द्वारा जारी किया जा चुका है।

3. इस प्रसंग में सभी मंत्रालयों/ विभागों का ध्यान इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13034/50/87-रा भा (ग), दिनांक 11.11.1987 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भाषा के माध्यम से भी प्रशिक्षण देने हेतु व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था। इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में स्थित हों, प्रशिक्षण सामग्री दोनों भाषाओं में तैयार करवाने और प्रशिक्षणार्थियों की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करनी अपेक्षित थी। उक्त व्यवस्था दिनांक 1 जनवरी, 1989 के बाद आरम्भ किए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों पर लागू होनी थी।

4. संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश तथा इस संबंध में सरकार के निर्णय के परिणेश्य में सभी मंत्रालयों/ विभागों आदि से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ व अपने उपकर्मों आदि के अधीनस्थ प्रशिक्षण संस्थानों का इस विभाग के दिनांक 11.11.1987 के कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकृष्ट करें तथा जिन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य-सामग्री का अनुवाद अभी तक नहीं कराया गया है, उन्हें इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के निदेश दें।

5. कृपया इस संबंध में को गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।